

पुलिस विभाग उत्तराखण्ड नागरिक
अधिकार-पत्र
(Citizen Charter)

पुलिस विभाग उत्तराखण्ड नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)

- नागरिक अधिकार पत्र क्या है:-
- नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐसा व्यवस्थित सूचना पत्र है, जिसके द्वारा नागरिकों को पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी दी जाती है जिससे प्रत्येक नागरिक अधिकार पत्र में उल्लिखित समयबद्धता के अनुरूप वांछित सूचना प्राप्त कर सके तथा सूचना समय पर न मिलने की अपील उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। नागरिक अधिकार पत्र में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में समयबद्धता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

पुलिस विभाग का उद्देश्य:-

- नागरिकों के साथ मित्रता, सेवा एवं सुरक्षा की भावना को साकार करना जन मानस में सुरक्षा की भावना जागृत करना।
- कानून एवं शान्ति व्यवस्था को क्रायम रखना।
- समाज में सामाजिक बुराईयों तथा युवा वर्ग में बढ़ती नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, साईबर अपराधों, एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को जागरूकता सुनिश्चित कराना ।
- पुलिस थाना एवं चौकियों पर आने वाले पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए समाज में शान्ति व्यवस्था बनाना।
- पुलिस और नागरिकों के मध्य आपसी संवाद व समन्वय बनाना, जिससे पुलिस के प्रति नागरिकों के मन में विश्वास की भावना जागृत हो।
- सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करना।
- आपदा की स्थिति में पितेज तमेचवदकमत के रूप में बचाव एवं राहत कार्यों को सम्पन्न करना तथा आपदाओं से निपटने के सम्बन्ध में जनजागरूकता पैदा करना।
- अपराध नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में जनसहभागिता का उपयोग करना

पुलिस विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के अधीन दिये जाने वाली सेवाओं का विवरण

- शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा थाने पर दी गई सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट(संज्ञेय या असंज्ञेय) तत्काल पंजीकृत की जाती है तथा उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता/पीड़ित को निःशुल्क दी जाती है।
- इसके अतिरिक्त अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के अन्तर्गत सभी थानों/पुलिस कार्यालयों को कम्प्यूटराइज्ड / ऑनलाइन शिकायतों का पंजीकरण (Complaint Registration) एवं प्रथम सूचना का अवलोकन (View F.I.R) की सुविधा।
- नागरिकों द्वारा दिये जाने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति शिकायतकर्ता को दी जाती है तथा उन पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।
- मृतक के परिवार द्वारा पंचायतनामा/पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जाती है।
- अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय उसका कारण बताया जाता है तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी जाती है।
- महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले बयान एवं पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जाता है।
- बच्चों से पूछताछ हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाती है।
- विवेचना/जांच के दौरान की जाने वाली पूछताछ में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार निर्धारित वर्दी धारण करते हैं।
- नागरिक अधिकारों के सन्दर्भ में मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।
- सेवा का अधिकार अधिनियम एवं सूचना का अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त की जाने वाली सूचनाओं को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियमानुसार सुनवाई की जाती है।

जनपदीय पुलिस कार्यालयों/शाखाओं के कार्यों का विवरण

पुलिस विभाग में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रातःकाल से देर रात्री तक किये जाने वाले कार्यों का विवरण		
1	पदनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	जनपद में नियुक्त समस्त अधिकारी /कर्मचारियों के कार्यों /दायित्वों का पर्यवेक्षण एवं जनपद में शांति /कानून व्यवस्था को बनाये रखना। आम नागरिकों की समस्याओं को सुनना एवं उनका निस्तारण कर अपराधों की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश निर्गत करना।
2	पुलिस अधीक्षक यातायात	जनपद में सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी गणों का पर्यवेक्षण करना एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय में नियुक्त अधिकारी /कर्मचारी गणों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
3	पुलिस अधीक्षक नगर	जनपद के नगर क्षेत्र में अपराध नियन्त्रण/कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना,अधिनस्थ थाना/चौकियों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
4	पुलिस अधीक्षक देहात	जनपद के देहात क्षेत्र में अपराध नियन्त्रण / शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना एवं अपने क्षेत्र के आम नागरिकों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण करना,तथा अधिनस्थ थाना/चौकियों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
5	क्षेत्राधिकारी	अपने-अपने सर्किल के थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराध नियन्त्रण / शान्ति / कानून / यातायात व्यवस्था बनाये रखना, जनता की समस्याओं का समयक निवारण करना।
6	क्षेत्राधिकारी आंकिक	आंकिक शाखा में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
7	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निष्पादन करना।

8	प्रतिसार निरीक्षक	पुलिस लाईन मे रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाईन का अधिकारी होता है,वह अपेक्षित रूप से रिजर्व लाईन के सभी रक्षकों / अनुरक्षकों की गणना व निरीक्षण करते है। रिजर्व कान्स0 के बीच कर्तव्यों का वितरण सही और न्यायिक रूप से किया जाता है,अपने अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारीगणों के कार्यों एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण।
9	प्रधान लिपिक	प्रधान लिपिक शाखा एवं अपने अधिनस्थ कार्मिको के सभी कार्यों का निष्पादन।
10	आकिंक	आंकिक शाखा के अपने अधिनस्थ कार्मिकों के सभी कार्यों का निष्पादन।
11	शाखा प्रभारी	अपने अधिनस्थ नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
12	प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष	अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराध नियन्त्रण / शान्ति / कानून यातायात व्यवस्था बनाये रखना एवं अपने-अपने थाना कार्यालय मे नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।
13	निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	महत्वपूर्ण अभिसूचनाओं का संकलन एवं समयक प्रेषण तथा अधिनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण।
14	उपनिरीक्षक	थाना / चौकियों के अन्तर्गत अपने-अपने बीट क्षेत्र मे शान्ति / कानून व्यवस्था बनाये रखना,अभियोगी की विवेचनाओं का सफल अपराध नियन्त्रण / विधिक निस्तारण करना,जांच प्रार्थना-पत्रों का सफल निस्तारण करना।
15	मुख्य आरक्षी	मुख्य आरक्षी के रूप मे थाना कार्य लेखों का प्रथम सूचना रिपोर्टों का पंजीकरण एवं माल मुकदमाती सम्पत्ति का रख-रखाव एवं थाने के दैनिक कार्यों का निष्पादन।
16	आरक्षी	अपने-अपने बीट क्षेत्रान्तर्गत सूचनाओं का संकलन गश्त / पिकैट / सुरक्षा यातायात ड्यूटियों का निष्पादन करना।

निष्कर्ष:-

सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दोनों रेंजों के सभी जनपदों को निर्देशानुसार यह निर्देश दिये गये है कि उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत जिलों के थानों पर सेवा के अधिकार से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रारूप का आम जनता की जानकारी हेतु सूचना-पट लगाये गये हैं।

पुलिस विभाग का उद्देश्य, दृष्टिकोण एवं "मित्रता, सेवा, सुरक्षा" एवं समाज को भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाना व पुलिस रेगुलेशन में प्रदत्त शक्तियों के साथ जनता के जान-माल की सुरक्षा अपराध नियन्त्रण, शान्ति व्यवस्था कायम करना तथा निर्बल, असहाय व पीड़ितों को न्याय प्रदान करना, पुलिस और नागरिकों के मध्य आपसी संवाद व समन्वय बनाना, जिससे पुलिस के प्रति नागरिकों के मन में विश्वास की भावना जागृत हो ।

परिक्षेत्रीय एवं जनपदों के सभी पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर /मोबाइल न0/शासकीय ई0मेल आई0डी0 की सूची:-

परिक्षेत्र / जनपद	कार्यालय का टेलीफोन न0	आवासीय टेलीफोन न0	मोबाइल नम्बर	जिले का शासकीय ई0मेल आई0डी0
पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र	0135-2716201	0135-2733933	9456591881	gwl.renge07@gmail.com.
पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाँयू परिक्षेत्र	05946-235456	05946-235323, 9411112748	9411113080	cok@ gmail.com.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून	0135-27162132	0135-2716205	9411112706	DOONPOLICE@YAHOO .COM ssp.ddn14@gmail.com
पु0अ0 नगर देहरादून	0135-2716207		9411112725	DOONPOLICE@YAHOO .COM ssp.ddn14@gmail.com
पु0अ0 ग्रामीण	0135-2716213		9411112775	Sprural100@gmail.com
पु0अ0 यातायात			9411112478	Sptrafficddn@gmail.com
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार	01334-239109	01334-239777	9411112987	ssphdr@yahoo.com

पु0अ0 ग्रामीण	01332-275155		94113990	Spra.hdr@gmail.com
पु0अ0 नगर हरिद्वार	01334-265722		9411112768	Spcityhdr@gmail.com
पु0अ0 अपराध	01334-239993		7830020008	Sp.crime123@gmail.com
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी	01368222254 01368223438	01368-222214	9411112081 8273733388	sspaurigarhwal@gmail.com
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी	01376-232162	01376-232399	9411114544	sp-teh-ua@nic.in
पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी	01374-222116	01374-222109	9411112733	sp-utt-ua@nic.in
पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग	01364-233387	01364-233388	9411112699	sp.rudpg@gmail.com
पुलिस अधीक्षक चमोली	01372-252134	01372-252133	9411112722	sp-cha-ua@nic.in
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल	05942-235730	05942-235586	9411112712	Ssp-nai-ua@nic.in
कैम्प कार्यालय नैनीताल	05943-235586			
कैम्प कार्यालय हल्द्वानी	05946-220740			
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर	05944-243907	05944-242025	9411112711	ssp-usn-ua@nic.in
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोडा	05962-230007	05962-230036	9411112790	sp-alm-ua@nic.in
पुलिस अधीक्षक	05964225539	05964-225023	9411112082	cctnspth@gmail.com

पिथौरागढ					
पुलिस अधीक्षक बागेश्वर	05963-220382	05963-220327	9411111952	sp-bag-ua@nic.in	
पुलिस अधीक्षक चम्पावत	05966-230276	05965-230515	9411112707	Sp-chp.ua.gov.in	

उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गृह / पुलिस विभाग से सम्बन्धित 37 अधिसूचित सेवाओं का विवरण ।

क्र० सं०	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम
1	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि का बढ़ाया जाना	निरीक्षक एल०आई०यू०	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2	विदेशियों का पंजीकरण	निरीक्षक एल०आई०यू०	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3	बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहाँ का वह रहने वाला है)	प्रभारी / थानाध्यक्ष	07 दिन 60 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4	एफ०आई०आर० की प्रति वादी को उपलब्ध कराना	प्रभारी /थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5	लाउडस्पीकर का स्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना	प्रभारी / थानाध्यक्ष	05	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
6	सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन	प्रभारी / थानाध्यक्ष	30	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7	पारपत्र सत्यापन	निरीक्षक एल०आई०यू०	21 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8	सामान्य प्रार्थना पत्रों / शिकायतों का निस्तारण	प्रभारी / थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्राधिकारी	30 दिन	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस	पुलिस उपमहानिरीक्षक / महानिरीक्षक परिक्षेत्र

				अधीक्षक	
10	शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति करना / आख्या अग्रसारित करना (अगर लाईसेंस निर्धारित अवधि की समाप्ति को पूर्व और लाईसेंस निर्गत करने वाले जनपद जहाँ से सेवा प्रदान की जाती है)	प्रभारी/ थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11	शस्त्र लाईसेंस में अन्य कोई परिवर्तन करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है)	प्रभारी / थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	मेला / प्रदर्शनी अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी / थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13	नये शस्त्र लाईसेंस का सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या उपलब्ध करना	प्रभारी / थाना अध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
14	शस्त्र का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी / थाना अध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेंस नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी / थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	पेट्रोल पम्प / सिनेमा हाल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने	प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्निशमन	15 दिन	क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

	विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना।	अधिकारी		अधिकारी	
--	---	---------	--	---------	--

17	चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, सेना सत्यापन रिपोर्ट, निजी सत्यापन रिपोर्ट) किया जाना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
18	पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड सभी प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
19	शान्तिपूर्ण सार्वजनिक कार्य बैठक करने और मार्च/जुलूस रखने की सिफारिश/अनुशंसा के सम्बन्ध में।	प्रभारी थानाध्यक्ष	07-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
20	पटाकरो के लाईसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सिफारिश पर निर्गत करना। 1-विनिर्माण के लिए। 2-भण्डारण के लिए। 3-बेचने के लिए। 4-अस्थायी बिक्री के लिए।	प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्निशमन अधिकारी	1-30 दिन 2-15 दिन 3-7 दिन 4-7	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
21	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। 1-सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु।	प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्निशमन अधिकारी	15-दिन 30-दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

	2-अन्य प्रयोजनों हेतु।				
22	आग के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करना।	थानाप्रभारी/अग्निशमन अधिकारी	01-माह	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
23	फिल्म शूटिंग के लिए सिफारिश / अनुमति प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	07-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
24	शस्त्र लाईसेंस के धारक के शस्त्र का स्थानान्तरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
25	गुमशुदगी की रिपोर्ट का पंजीकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष+	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
26	ऑनलाईन शिकायत पर कार्यवाही।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
27	पटाकों की बिक्री के लिए लाईसेंस की जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	7-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
28	सल्फर की बिक्री के लिए लाईसेंस जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	7-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
29	मनोरंजन गतिविधियों के लिए लाईसेंस/अनुमति प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
30	किरायदार का सत्यापन। 1-प्रदेश के अन्दर 2-प्रदेश के बाहर	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन 60-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

31	नौकर सत्यापन। 1-प्रदेश के अन्दर। 2-प्रदेश के बाहर।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन 60-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
32	दस्तावेजों/मोबाईल आदि के खो जाने की रिपोर्ट करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
33	शस्त्र लाईसेंसि द्वारा अपना निवास स्थान परिवर्तन करने की दशा में लाईसेंस जारी करने वाले जनपद से दूसरे जनपद में शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
34	शस्त्रों के विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
35	भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी	30-दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
36	विदेशी नागरिकों को पुलिस क्लेयरेंस प्रमाण-पत्र।	निरीक्षक एल.आई.यू.	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
37	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतिकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

धन्यवाद महोदय

द्वारा: एच०सीपी- नीलम सिंह,
सेवा का अधिकार,
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून ।